

फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rules (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

जिला न्यायालय राजौरा जिला न्यायालय
 मुकाम राजौरा
 मसल नं० सुल्तन राम बनाव जेभाराम ए० सुल्तन राम
 फर्दमा राजौरा न्याय सं० १४१४ रि० सं० ३०७/सं० २

हुकम हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

1/12/21 आज यह याद वादी ने प्रतिवादीगण विरुद्ध अ. धारा १३ ए३ में फर्द दर्ज हो प्रतिवादीगण को सम्मन जारी हो गिसल दिनांक: 22/12/21 को पेश हो।
 सहायक कलक्टर डीडवाना

22/12/21 नवीन कड़ी उरण प्रतिवादीगण के सम्मन तलबाना पेश करे पेश हो पर सम्मन जारी हो पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 14/12/22 को पेश हो।
 सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

14/12/22 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उरण प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 28/12/22 को पेश हो। इतना लिखने पर प्रतिवादी सं० 01344 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक भाकर ने क्वासतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली हो। पत्रावली मुकर्रर तारीख का पेश हो।

28/12/22 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उरण प्रतिवादी सं० 245 की तलबी हेतु सम्मन तलबाना पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 10/1/22 को पेश हो।
 सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

14/12/2022



27/7/2023

वादी के आवेदन पर पञ्जावली आज प्रेस हुई
वादी तथा उर्दू अधिका भी विद्वान् हुन्दी (उपाधि)

रामचन्द्र

पञ्जावली
दस्तावेज

वादी के शर्माना पर प्रेस पर प्रकरण से अर्क
पञ्जावली नहीं चले के कारण जरि विद्वान्
स्वार्थि डिरे जर्न का निवेदन दिया। आवेदन
पर खुला गया व रेफरेंस का अफिलेउ दिया।
वादी अपने वाद से पञ्जावली चाह रहा है।
अतः दखल खाहिश वादी दखलगत वाद जरि
विद्वान् स्वार्थि दिया जाता है।
पञ्जावली अपने मखर के इन ठेकर सहित
उपर है।

(9)

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)